# डराने-धमकाने, उत्पीड़न व भेदभाव की परिभाषाएँ

डराना-धमकाना, उत्पीड़न, भेदभाव व हिंसा, ये सभी पारस्परिक व्यवहार होते हैं जो नकारात्मक सामाजिक परिसरों का निर्माण कर सकते हैं या इनमें योगदान दे सकते हैं। सभी स्कूल समुदायों को डराने-धमकाने, उत्पीड़न, भेदभाव व हिंसा वाले व्यवहार के लिए अपनी स्कूल नीतियों व कार्यविधियों में स्पष्ट परिभाषाएँ प्रदान करनी चाहिए।

## डराना-धमकाना

डराना-धमकाना दोहराए जाने वाला मुँह-जबानी, शारीरिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक तौर पर किया जाने वाला व्यवहार होता है जो नुकसानदायक होता है और जिसमें किसी व्यक्ति-विशेष या समूह द्वारा किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के प्रति बल का दुरुपयोग शामिल होता है।

निम्नलिखित ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें डराने-धमकाने वाले व्यवहार के तौर पर नहीं माना जाता है:

• पारस्परिक वाद-विवाद और मतभेद (वो परिस्थितियाँ जहाँ बल का असंतुलन शामिल न हो)

• किसी को नापसंद करना या फिर सामाजिक बहिष्करण का एकमात्र कृत्य

• दरिद्रता या विद्वेष का एकबारगी कृत्य

• आक्रामकता, धमकी या हिंसा की छिट-पुट घटनाएँ।

परन्तु, फिर भी इन विवादों पर ध्यान देने और इनका समाधान करने की आवश्यकता होती है।

साइबर-बुलिंग (इंटरनेट पर डराना-धमकाना) डराने-धमकाने के उस व्यवहार को दर्शाता है जो सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किया जाता है। उपरोक्त समान सभी ऑनलाइन समस्याएँ साइबर-बुलिंग नहीं होती हैं।

## उत्पीड़न

उत्पीड़न ऐसा व्यवहार है जिसमें निम्नलिखित कारणों की वजह से किसी व्यक्ति-विशेष या किसी समूह को निशाना बनाया जाता है:

• पहचान, जाति, संस्कृति या जातीय मूल

• धर्म

• शारीरिक विशेषताएँ

• लिंग

• लैंगिक-रुझान

• विवाहिक, पेरेंटिंग (परवरिश) या आर्थिक स्थिति

• आयु

• क्षमता या विकलांगता।

यह किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाता है, अपमानित करता है या फिर इससे शत्रुतापूर्ण

वातावरण पनपता है। ऐसा हो सकता है कि यह:

• व्यवहार का कोई निरंतर तरीका या फिर कोई एकमात्र कृत्य हो

• अंधाधुंध तरीके से किसी पर भी या समान व्यक्ति (व्यक्तियों) की ओर किया जाए

• जानबूझकर या अनजाने में किया जाए।

## भेदभाव

भेदभाव तब घटित होता है जब निम्नलिखित कारणों की वजह से लोगों के साथ दूसरे लोगों के मुकाबले कम कृपादृष्टि दिखाते हुए व्यवहार किया जाता है:

• पहचान, जाति, संस्कृति या जातीय मूल

• धर्म

• शारीरिक विशेषताएँ

• लिंग

• लैंगिक-रुझान

• विवाहिक, पेरेंटिंग (परवरिश) या आर्थिक स्थिति

• आयु

• क्षमता या विकलांगता।

## हिंसा

हिंसा का अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर प्रयोग किए गए शारीरिक बल या ताकत, या ऐसा करने की धमकी देना या वास्तव में ऐसा करने से है जिसके फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक क्षति पहुँचती है, चोट लगती है या कुछ मामलों में मृत्यु हो जाती है। इसमें उकसाकर या अकारण किए जाने वाले कार्य शामिल हो सकते हैं और यह कोई एकमात्र घटना हो सकती है, या कोई आकस्मिक कृत्य हो सकता है या फिर यह समय के साथ-साथ घटित हो सकता है।

इस जानकारी पत्र में दी गई परिभाषाओं में मुख्य विशेषताएँ शामिल हैं और ये Safe Schools Hub से प्राप्त की गई हैं। इन्हें http://www.safeschoolshub.edu.au/resources-and-help/Glossaryसे ऐक्सेस (प्राप्त) किया जा सकता है।